आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 62 साल करने का फैसला बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु साठ साल से बढाकर 62 साल करने के संबंध में हाईकोर्ट की ओर से 13 जुलाई, 2022 को दिए आदेश को सही माना है। इसके साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है।

राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि एलोपैथी और आयुर्वेद चिकित्सकों का कार्यक्षेत्र अलग-अलग है। एलोपैथी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु दो साल बढाना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय था और ऐसा एलोपैथी डॉक्टर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया था। इसलिए एलोपैथी डॉक्टर्स की तरह आयुर्वेद डॉक्टर्स की आयु 60 साल से बढाकर 62 साल करने वाले फैसले को रद्द किया जाए।

इसके जवाब में आयुर्वेद डॉक्टर्स की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी एनडीएमसी बनाम डॉ. रामनरेश के मामले में आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु भी 62 साल करने की मंजूरी दी है। इसलिए आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 से बढाकर 62 साल करने का हाईकोर्ट का फैसला सही है और ऐसे में राज्य सरकार की एसएलपी खारिज की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी खारिज कर दी।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ना केवल आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु दो साल बढाई थी, बल्कि यह भी कहा था कि जिन आयुर्वेद डॉक्टर का रिटायरमेंट हाल में हुआ हो और जिनकी आयु 62 साल से कम है उन्हें वापस सेवा लिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब एलोपैथी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 62 साल है तो आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु भी 62 साल की जाए और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट में कहा था कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2016 को एलोपैथी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 से बढाकर 62 साल कर दी, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 साल ही रखी है।

'ई.आर.सी.पी. पर एम.ओ.यू. सार्वजनिक करें सरकार'

जयपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एवं पार्वती काली सिंध चंबल राष्ट्रीय लिंक परियोजना के एकीकरण के उपरांत राजस्थान को प्राप्त होने वाला पानी वर्ष 2017 में तैयार की गई डीपीआर से आधा रह जाएगा। विधानसभा में चर्चा के समय भी एम ओ यू की प्रति जनता के निर्वाचित विधायकों को भी उपलब्ध नहीं करना संशय को गहरा करता है।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से 2,82000 हेक्टर से अधिक भूमि सिंचित होगी, वहीं 13 जिलों की जनता को पीने का मीठा पानी उपलब्ध हो सकेगा। सरकार को एम ओ यू को सार्वजनिक करते हुए उसे पर जनता में वृहद बहस खड़ी करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को सीके बिरला अस्पताल पहुँचकर राज्यपाल कलराज मिश्र की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने मिश्र के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल मिश्र के बाएं घुटने का मंगलवार को ऑपरेशन हुआ है।

'लिवर रोगों में गिलोय की उपयोगिता को अब ब्रिटिश फार्मा ने भी माना'

■ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल 'जर्नल ऑफ फार्मेसी एण्ड फार्माकोलॉजी' में प्रमुखता से प्रकाशित किया शोधपत्र

हरिद्वार/जयपुर। गिलोय के हेपटोप्रोटेक्टिव (लिवर को स्वस्थ रखने की क्षमता) और अन्य लाभकारी प्रभाव को अब यूनाइटिड किंगडम ने भी स्वीकार किया है जिसे रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल 'जर्नल ऑफ फार्मेसी एण्ड फार्माकोलॉजी' में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया है।

यू.के. के जर्नल ऑफ फार्मेसी एण्ड फार्माकोलॉजी ने स्वीकार किया है कि गिलोय पर अनुसंधान में पाया कि यह लिवर को स्वस्थ रखने के साथ शरीर की कोशिकाओं का क्षरण रोकने तथा लिवर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। साथ ही गिलोय शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करता है। गिलोय के प्रयोग को दैनन्दिन (खाद्य के रूप में) प्रयोग करके अनेक रोगों में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गिलोय का प्रयोग लिवर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पूरक खाद्य के रूप में किया जा सकता है।

इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि गिलोय को परंपरागत रूप से रक्त शोधन व रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के लिए प्राचीनकाल से ही गिलोय प्रयोग किया जाता था। गिलोय एक हेपेटोप्रोटेक्टिव एजेंट है। अनुसंधान द्वारा इसकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए 4 मॉडल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसके हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रभावों का श्रेय, एल्कलॉइड्स (बर्बेरिन, पामेटाइन और जेट्रोर्रिजिन) और सिनापिक एसिड को दिया जा सकता है।

आचार्य ने कहा कि आयुर्वेद को कुलचने का भरसक प्रयास किया गया किन्तु पतंजलि ने सदैव आयुर्वेद को गौरव प्रदान किया है। कोरोनाकाल में गिलोय को लेकर भ्रांति पैदा करने का प्रयास किया गया कि गिलोय के अधिक सेवन से लिवर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। किन्तु पतंजलि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गिलोय पर अनुसंधान कर उसे एविडेंस के साथ प्रस्तुत किया।

आचार्य ने कहा कि यह भी प्रासंगिक है कि कोरोना के खिलाफ प्रमुख औषधि कोरोनिल का एक प्रमुख घटक गिलोय है। पतंजलि के प्रयासों से आज दुनियाभर के वैज्ञानिक आयुर्वेद का लोहा मान रहे हैं।

मुख्यमंत्री जयपुर मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे

जयपुर, (का.सं.)। वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति युवा संस्था द्वारा 4 फरवरी को जयपुर में आयोजित होने वाली 15वीं एयू जयपुर मैराथन हर बार की तरह इस बार भी जेएलएन मार्ग से होकर निकलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन को फ्लैग ऑफ करेंगे। एक प्रेस वार्ता में वर्ल्ड ट्रेड पार्क के चेयरमैन अनूप बरतरिया और आयोजक पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि कि इस बार 100 से ज्यादा संस्थाएं और 200 से अधिक स्कूल-कॉलेज एयू जयपुर मैराथन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैराथन रामनिवास बाग के साउथ गेट से होकर निकलेगी।

राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ (राजस्थान शाखा) की साधारण सभा की बैठक सम्पन्न

■ कार्यकारिणी सदस्यों के मनोनयन के लिये अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्राधिकृत

जयपुर। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के गठन के पश्चात राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की साधारण सभा की प्रथम बैठक मंगलवार को राजस्थान विधान सभा में आयोजित की गई।

बैठक में राजस्थान विधानसभा और राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शाखा के गठन, शाखा द्वारा किये गये कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने संघ के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी साधारण सभा में सदस्यों को देते हुए बताया कि शाखा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अवैतनिक सचिव, कोषाध्यक्ष शाखा का प्रबंध करते हैं। अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा इस शाखा के पदेन अध्यक्ष होंगे। सदन के नेता तथा विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता शाखा के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। अवैतनिक सचिव तथा कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त किये जाएंगे। देवनानी ने बताया कि शाखा के कार्यकलापों के प्रबन्ध का अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगा जिसके दस सदस्य होंगे जो प्रति वर्ष साधारण सभा में शाखा के साधारण सदस्यों तथा पदाधिकारियों में से चुने जाएंगे। शाखा के पदधारी कार्यकारिणी समिति के भी पदधारी भी होंगे। नियमों के अनुसार विधान सभा का प्रत्येक सदस्य बिना किसी निर्वाचन के इस शाखा का साधारण सदस्य होता है। देवनानी ने बताया कि राजस्थान शाखा द्वारा राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के मुख्यालय को प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2023 के सदस्यता शुल्क के रूप में राशि 5727 पाउण्ड स्टर्लिंग (करीब 5 लाख 82 हजार रु.) का भुगतान किया गया है। राजस्थान शाखा राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र की भी सदस्य है। इस शाखा द्वारा भारत क्षेत्र की वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में संघ के मुख्यालय के वार्षिक शुल्क के रूप में राशि 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। देवनानी ने बताया कि पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के कार्यकाल के दौरान राजस्थान शाखा द्वारा विभिन्न विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया था।

बेंच डे के मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के स्थापना दिवस समारोह पर बुधवार को न्यायाधीशों ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ का 48वां स्थापना दिवस समारोह बुधवार को हाईकोर्ट परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस पंकज भंडारी और विशिष्ट अतिथि जस्टिस इंद्रजीत सिंह थे। इस मौके पर पचास साल की वकालत अवधि पूरी करने वाले अधिवक्ता पीसी जैन, विनोदी लाल माथुर, संतोष कुमार जैन, और सीताराम जोशी सहित करीब चार दर्जन से अधिक वकीलों का सम्मान किया गया। न्यायाधीशों ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान वकीलों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।

वहीं हाईकोर्ट बार अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने वकीलों की विभिन्न समस्याओं से न्यायाधीशों को अवगत कराया। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के कई न्यायाधीशों सहित बार अध्यक्ष व महासचिव के साथ पूरी कार्यकारिणी मौजूद रही। बार अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया की हाईकोर्ट परिसर में वकीलों को कई तरह की समस्या होती है। पर्याप्त पार्किंग के अभाव में वकीलों को मजबूरी में मुख्य सड़क पर वाहन खडा करना है। कई बार पार्किंग नहीं मिलती और दूसरी ओर अदालत में उसके केस का नंबर आ जाता है। जिसमें चलते मुकदमा खारिज होने तक की नौबत तक आ जाती है।

गौरतलब है कि 31 जनवरी, 1977 को हाईकोर्ट की जयपुर पीठ की स्थापना की गई थी। इसके चलते जयपुर पीठ के वकीलों की ओर से स्थापना दिवस को बेंच डे के रूप में मनाया जाता है। जबकि हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में वकील विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं।

जयपुर लिट् कुंभ का आज से भव्य आगाज

■ डिप्टी सीएम करेंगी उद्घाटन, 5 दिनों में 550 वक्ता

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 17वां संस्करण 1 फरवरी से होटल क्लार्क्स आमेर में शुरू होने वाला है। साहित्यिक समारोह में 550 से अधिक लेखक, वक्ता और कलाकार भाग लेंगे और 16 भारतीय और 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं प्रस्तुत की जाएंगी। भारतीय भाषाओं में असमिया, अवधी, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कुरुख, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, तमिल, टोडा, उर्दू और बंजारा भाषा-लामानी (लंबाडा) शामिल हैं। इस वर्ष भी फेस्टिवल की डेकोर थीम उत्सव रखी गई है। उत्सव राजस्थान के रंगों का जश्न मनाना और उज्जवल रंगों का प्रदर्शन है।

फेस्टिवल के पहले दिन की शुरुआत उद्घाटन समारोह से होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि होंगी। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी का मुख्य संबोधन होगा। द मॉर्निंग म्यूज़िक में पंडित कुमार गंधर्व की 100वीं जयंती मनाते हुए कलापिनी कोमकली की प्रस्तुति दी जाएगी। पहले दिन गुलज़ार, अमीश, रघुराम राजन, अजय जड़ेजा, चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी, पवन के. वर्मा सहित अन्य कुछ प्रमुख वक्ताओं के साथ साहित्यिक वार्ता होगी।

फेस्टिवल के पहले दिन कुल 40 सत्र होंगे, जो क्लार्क्स में 5 अलग-अलग स्थानों - फ्रंट लॉन, बैठक, मुगल टेंट, चारबाग और दरबार हॉल में होंगे।

विधानसभा में जवाब दूंगा तो ये भाग जाएंगे : डोटासरा

■ 'मुख्यमंत्री ने गलत बात की इसलिए विधानसभा में लाएंगे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव'

जयपुर, (का.प्र.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बीजपी के मंत्री कर क्या रहे हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं है। ये तो जुगाड़ करके काम चला रहे हैं। आज किसी को भी पावरफुल माना जाए, तो वह हमारा मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव छापे मारता है, दफ्तरों में जाता है, इससे पावरफुल मुझे तो कोई नजर नहीं आता।

डोटासरा ने यह भी कहा कि ईआरसीपी पर मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि 3510 एमसीएम पानी मिला है, जबकि एमओयू के हिसाब से 2400 एमसीएम पानी मिलेगा। यह सदन के विशेषाधिकार हनन का मामला है। हम लोग सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला पेश करेंगे। सीएम ने सदन को गलत जानकारी देक गुमराह किया है। पीकेसी में ये सिंचाई के लिए पानी दे नहीं सकते, ये जो पीकेसी का फंडा लेकर आए हैं वह इज्जत बचाने के लिए लेकर आएं हैं। इन्हें वसुंधरा राजे की योजना से चिढ़ थी, उस योजना को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया, अब उस योजना को इन्होंने बिगाड़ दिया, राज्य के हितों का नुकसान कर दिया। इसका खामियाजा इन्हें भुगतना होगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर दिए गए जवाब पर कहा कि मुख्यमंत्री सदन में मुझसे पूछ रहे थे कौनसी चक्की का आटा खाते हैं जो चार चार आरएएस बन गए। तारानगर से लड़ने वाले नेताजी से पूछ लीजिए कौनसी चक्की का आटा खाया। अब वो किस स्तर पर चर्चा को ले जाना चाहते हैं, इस पर अभी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कुछ है तो जांच करवा लीजिए, उनके पास तो सारी एजेंसियां हैं।

डोटासरा ने कहा कि 6 महीने और रुक जाओ क्या-क्या कारनामे होते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया है, वह लगा सकते हैं। मैं जब राजस्थान विधानसभा में बोलूंगा उनके हर आरोप का जवाब दूंगा, उनके कान खड़े हो जाएंगे, उनकी सुनने की क्षमता नहीं होगी चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। डोटासरा ने यह भी कहा कि ये आरोप लगा सकते हैं, जो डबल इंजन की सरकार बताते हैं, केंद्र की एजेंसियां उनके कब्जे में है जो तांडव नृत्य मचा रखा है वह सबके सामने है।

डोटासरा ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री सवा दो घंटे बोले लेकिन उसमें जनता कि काम की एक बात नहीं थी। मुख्यमंत्री का भाषण इतना नीरस थसा कि हमें हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि महाराज अब तो हमारा पीछा छोड़िए, हमने मान लिया आप भाषण अच्छा देते हो। मुख्यमंत्री इतने लंबे भाषण में एक बार भी जनता के लिए नहीं बोले, केवल वही बातें कहीं जो ये 5 साल तक हमारी सरकार के खिलाफ बोलते थे। अब तो विधानसभा चुनाव हो गए, जनता ने बहुमत दे दिया, अब तो काम की बात कीजिए और काम करके दिखाइए।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय **श्री रामचरण जी बंसल** सुपुत्र स्व. श्री बनवारीलाल जी चौधरी (कोटपूतली वाले) 30.01.2024 को देवस्थानागमन हो गए है। तीये की बैठक 01.02.2024 को सायं 3 से 4 बजे तक डूंगरी हाउस गार्डन, चौराडिया सिटी के पास, कनक विहार, अजमेर रोड पर होगी।

शोकाकुल-संतोष (धर्मपत्नी), वत्सला (RBMHS) -धीरज, वन्दना (MGD) -राजेश, विनीता-गजेन्द्र, विभा-एडजियो, आभा-सुशांत (पुत्री-दामाद), पराग, एकाग्र, विवान, नील (दोहिते), पल्लवी, आरूषि, सुदीक्षा, विधि, रिशिका, तारा (दोहिती) एवं समस्त बंसल (चौधरी) परिवार।

अत्यन्त दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती चन्दा देवी** (धर्मपत्नी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण खण्डारिया (कुमावत) का स्वर्गवास 30.01.2024 को हो गया है। तीये की बैठक (गुरूवार) दिनांक 01.02.2024 को सायं 4 से 5 बजे तक महादेव गार्डन, महादेव नगर, राम नगर विस्तार, स्वेज फार्म, सोडाला पर होगी।

शोकाकुल- ओम प्रकाश-लक्ष्मीदेवी (देवर-देवरानी), अशोक-विद्यादेवी (पुत्र-पुत्रवधू), आयुष (पौत्र), विमला-मानचन्द, सुशीला-सत्यनारायण, इन्दिरा-शिवकुमार, हेमलता-संजीव (पुत्री-दामाद), श्रुति-कमल, आकांक्षा-राघव (पौत्री-दामाद) एवं समस्त खण्डारिया परिवार

9950207361, 7727845665

नम्बर मिलाइए 9587884433

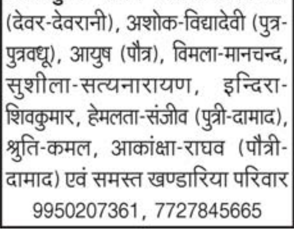

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

चित्रगुप्त नगर प्रथम में सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण

जयपुर। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने विधायक कोष से प्रदत्त राशि के द्वारा वार्ड 145 चित्रगुप्त नगर प्रथम में सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण किया। पार्षद नरेश शर्मा ने बताया कि आए दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं, कैमरे लग जाने से अपराधों पर अंकुश लगेगा। नटवर कुमावत ने बताया की राजस्थान में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र ही है जिसमें सबसे पहले विधायक कोष से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का कार्य किया गया। अब तक 22 कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा चुके हैं। 18 कॉलोनी के कार्य पाइपलाइन में हैं, आने वाले समय में सभी 26 वार्डों में विधायक कोष से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। स्थानीय लोगों एवं विकास समिति के पदाधिकारियों ने सराफ का माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर विकास समिति अध्यक्ष विनोद सैनी, महामंत्री देवेश भारद्वाज, उपाध्यक्ष राजेश कुमावत, कोषाध्यक्ष अशोक सैनी, सीताराम अग्रवाल, रामलाल चौधरी, डॉ अरविंद शर्मा, नवल, राकेश विजय, शहर मंत्री महिला मोर्चा रेखा तिवाड़ी, विनोद मित्तल एवं स्थानीय लोग मौजूद थे।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक फ्लैट संख्या 201, जिसका बिल्डअप एरिया 1050 वर्गफुट है जो कि प्लॉट संख्या 191 जयपुर नगर चौकडी हवाली शहर, राम गली संख्या 1, राजापार्क, जयपुर के मध्य भाग पर स्थित है, जिसको खरीदन के लिए मेरे अभिभाष्य डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी, सी-22 भगत सिंह मार्ग, तिलक नगर, जयपुर द्वारा एक इकरारनामा उक्त सम्पत्ति के मुख्यारनामा धारक श्री विजेन्द्र डोडा पुत्र श्री देवीदत्ता राम डोडा के साथ किया गया है अतः किसी भी व्यक्ति संस्था अथवा अन्य हितधारक को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो आज से 7 दिवस के मध्य लिखित आपत्ति दस्तावेजी साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर दें। अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। एवं मेरे अभिभाष्य द्वारा उक्त संपत्ति को अविवादित मानकर खरीद कर लिया जावेगा।
नरेन्द्र कुमार पारीक, एडवोकेट
राजस्थान हाई कोर्ट, मो. 9602750700

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बड़े भाई परम संत मोहनदास पुत्र श्री श्रीराम शिष्य चर्तुसहाय निवासी ग्राम पीपलाजागीर परगना व तहसील चांदपुर जिला बिजनौर, उ. प्र. ने एक वसीयत करायी थी। मेरे बड़े भाई का देहान्त हो चुका है। अब उस वसीयत को मेरे नाम से किया जाना है। **कृपाराम लखेड़ा पुत्र श्री श्रीराम निवासी श्यामपुर गाजीवाली तहसील व जिला हरिद्वार**

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 2775/18
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी विनय कुमार कुशवाह पुत्र स्व. श्री रामदेव मौर्य जाति मौर्य विवाद स्थान-मकान नं. 43, राजहंस कॉलोनी-2, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर
मृतक रामदेव मौर्य की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 28.02.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम रामदेव मौर्य पुत्र स्व. श्री खेदूराम निवासी मकान नं. 43, राजहंस कॉलोनी ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 28 माह 02 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 22 माह 01 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी द्वारा मृतक रामदेव मौर्य के नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित खाते में जमा राशि व शेयर्स बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 11, सांगानेर, जयपुर, महानगर प्रथम
भगवती प्रसाद विरूद्ध योगेश व अन्य
27
31/01/2024 वाद/ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र संख्या सन् सीआईएस 257/2020
नाम योगेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता जाति वैश्य पता सी-20, पत्रकार कॉलोनी ग्राम धोलाई तह. सांगानेर, जिला जयपुर उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 03.02.2024 को प्रातः 10:00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगे तो उक्त आदेश की सुनवाई व निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जावेगा। यह आज तारिख 31.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर से व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई है।
रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम

आम सूचना सूचित किया जाता है कि एक आवासीय प्लाट नम्बर 72, नानू नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 271.6 वर्गगज के स्वामित्वाधिकारी श्री राम सिंह के स्वर्गवास के पश्चात् उनके विधिक वारिसान् में श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़, श्री मंगल सिंह राठौड़ एवं श्री हनुमन्त सिंह राठौड़ द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 23.03.2013 के द्वारा श्रीमती अखे कँवर को प्राप्त हुये तथा श्रीमती अखे कँवर के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त सम्पत्ति के स्वामित्वाधिकार उनके विधिक वारिसान् श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़, श्री मंगल सिंह राठौड़ एवं श्री हनुमन्त सिंह राठौड़ को प्राप्त हुये। स्वर्गीय श्री राम सिंह एवं स्वर्गीय श्रीमती अखे कँवर का श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़, श्री मंगल सिंह राठौड़ एवं श्री हनुमन्त सिंह राठौड़ के अलावा अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिस नहीं है। श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़, श्री मंगल सिंह राठौड़ एवं श्री हनुमन्त सिंह राठौड़ से उक्त सम्पत्ति को श्रीमती शान्ति खण्डेलवाल क्रय कर रही हैं तथा उक्त क्रय बाबत् मेरी अभिभाष्या ऋणदात्री संस्था L&T Finance Ltd- से ऋण प्राप्त कर रही हैं। उक्तसम्पत्ति स्वामित्व एवं क्रय व ऋण बाबत् किसी भी व्यक्ति/ संस्था / बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 14 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।
पुलकित गर्ग (एडवोकेट),
MZ-4, अलंकार टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर -मो.9828084002

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
क्रम .11 स्थान सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम
26 वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
31/01/2024 सीआई एस नं. 494/20
भगवती प्रसाद विरूद्ध योगेश व अन्य
बनाम योगेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता जाति वैश्य स्थान मकान नंबर सी-20, पत्रकार कॉलोनी ग्राम धोलाई तह. सांगानेर, जिला जयपुर वादी ने आपके विरूद्ध के लिए वाद पंजीकृत किया था आपका इस न्यायालय में तारीख 03 माह 02 सन् 2024 को दिन 10:00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हो और इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें। उस दिन ऐसे सभी दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति मे है पेश करे जिनपर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल सुनवाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य किसी दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूपमें निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजो को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिती में किया जावेगा।
यह वाद दिनांक 31 माह 01 सन् 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम

आम सूचना
मेरा जेडीए द्वारा अनुमोदित सुमेल योजना में आवासीय भूखण्ड संख्या बी-419, जो कि स्वतंत्र कुमार पुत्र श्री सुरेश सिंह के नाम से है जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1849 मुन्नी देवी पत्नी श्री छुट्टन लाल सैनी के नाम से है कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। मो. 9214015055

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर राज.
प्रवीण सिंह विरूद्ध कैलाश वगै.
वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं. 425/सन् 2023
बनाम कैलाश पुत्र भोमाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम दयापुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज., 2. भीवाराम पुत्र घासीराम जाति बलाई निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक राज., 3. आशा देवी पुत्री ईश्वरलाल, 4. राकेश पुत्र ईश्वरलाल, 5. राजू पुत्र ईश्वरलाल, 6. सीता देवी पत्नि ईश्वरलाल, 7. मु. जीवणी पत्नि रामचन्दर, 8. महादेव पुत्र रामचन्दर, 9. रामप्रसाद पुत्र रामचन्दर समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम दयापुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज., 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज., 11. उपपंजीयक जरिये उपपंजीयन कार्यालय चाकसू जिला जयपुर राज. वादी ने आपके विरूद्ध तकासमा करवाने के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में 05.02.2024 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 29 माह 01 सन् 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
न्यायाधीश, उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

खोया पाया

प्लाट सं. 219, योजना सुर्य नगर गणेश मार्ग गोपालपुरा बाईपास जयपुर के समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र रसीद साईट प्लान गुम हो गये है। मिलने पर संपर्क करें- आभा शर्मा-6377317061

प्लाट सं. 219-ए, योजना सुर्य नगर गणेश मार्ग गोपालपुरा बाईपास जयपुर के समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र रसीद साईट प्लान गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें-ब्रह्मप्रकाश शर्मा-9350044435

मेरे प्लाट नं. जे-27, गणेश विहार विस्तार, चंदलाई वाटिका जयपुर विमल पारीक पुत्र शिव प्रताप पारीक के ओरिजनल अलॉटमेंट लेटर, साइट प्लान Certificate पेमेंट रसीद सत्कार शोपिंग सेंटर, मालवीय नगर जाते समय गिर गया है मिलने पर सम्पर्क करें-9352676645

मेरे प्लाट नं. जे-40, गणेश विहार विस्तार, चंदलाई, जयपुर मंजू जैन पत्नि संजय जैन के ओरिजनल अलॉटमेंट लेटर, साइट प्लान, रसीद Certificate आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर जाते समय गिर गया है मिलने पर संपर्क करें-9314911103

राजस्थान आवासन मंडल जवाहर नगर की आवास संख्या 2/155 का NOC डिक्लेरेशन लेटर, साइड प्लान व लीज सर्टिफिकेट कहीं खो गए है मिलने पर सूचित करें-हेमंत माथुर-9829065267

नाम परिवर्तन

हम, भुनेश कुमार जाखड तथा खुशबू पत्नि भुनेश कुमार जाखड़ ने अपने पुत्र अर्नव का नाम बदलकर अर्नव जाखड़ रख लिया है। भविष्य में उसे अर्नव जाखड़ के नाम से ही जाना जावें।

मैंने अपना नाम मिनाक्षी हरीरामाणी से बदलकर मिनाक्षी माणी रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पता-592, सिन्धी कॉलोनी राजापार्क, जयपुर

मैं, जोया अख्तर पुत्री आदिल अख्तर मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम त्रुटिपूर्वक जोया नकवी (Joya Naqvi) अंकित है। जिसे मैं मेरे पासपोर्ट में अपना नाम जोया अख्तर (Zoya Akhtar) करना चाहती हूँ। निवासी म.नं. 56, एकता कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर (राज.)

मैं कोली दीपाली रावसाहेब, आर्मी नंबर 15256964-ए, लांस/नायक (ओपीआर) कोली विशाल रावसो, यूनिट 199 मीडियम रेजिमेंट की मां हूँ। मेरे बेटे के सैन्य दस्तावेजों में मेरा नाम कोली दीपाली रावसो है जो गलत है। मेरा असली और सही नाम कोली दीपाली रावसाहेब है।

मैं वर्षा संदीप वाघ पत्नि आर्मी नंबर 15224118-डब्ल्यू नायक वाघ संदीप दिलीप युनिट 199 मीडियम रेजिमेंट मेरी पत्नी का नाम वर्षा है जो गलत है मेरा वास्तविक नाम वर्षा संदीप वाघ है।

मैंने मेरा नाम वर्षा खानचंदानी से बदलकर विवाह उपरांत प्रीत खटवानी रख लिया है। भविष्य में मुझे नये नाम से जाना जावें। पता-फ्लैट नं. 403, 4-फ्लोर बालाजी आशियाना, लक्ष्मणरेखा स्कीम प्लाट नं. 46-66, नियर वर्धमान स्वप्नलोक, लक्ष्मीनगर रोड, झोटवाड़ा, जयपुर (राजस्थान)-302012

मेरा नाम राकेश जांगिड़ से बदलकर आशुतोष जांगिड़ रख लिया है मेरी पुत्री तन्वी जांगिड़, वंशिका जांगिड़ का स्कूल रिकार्ड में पिता का नाम राकेश जांगिड़ गलत दर्ज हो गया। भविष्य में आशुतोष जांगिड़ के नाम से जाना जावें। पता- 5, गोविन्द नगर जोडला पावर हाउस हरमाड़ा जयपुर

I Javed S/o Ishak Mohammad R/o Ward No. 23, Teliyo Ka Mohalla, Taranagar, Churu, Rajasthan-331304, have changed my name to Mustak Khan